संख्या-24/2017/368/22-4-17-104(ब)/98

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 16 मई, 2017

विषय-नवसृजित जनपद चन्दौली में जिला कारागार, के निर्माण के लिए भूमि क्रय करने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13467/नम-2, दिनांक 22.05.2017 एवं शासनादेश संख्या-19/2017/259/22-4-17-104(ब)/98, दिनांक 31.03.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद चन्दौली में जिला कारागार के निर्माण के लिए ग्राम-वरंगा, परगना-बढ़वल, तहसील-सकलडीहा, जनपद-चन्दौली में चयनित काश्तकारों की कुल 30.334 हे0 भूमि के दृष्टिगत पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 3,50,07,772/- को घटाते हुए (रू0 42,82,83, 200-3,50,07,772)= रू0 39,32,75,428/-(रूपये उन्तालीस करोड़ बत्तीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ अट्ठाइस मात्र) को घटाते हुए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 36,22,12,091/- (रूपया छत्तीस करोड़ बाइस लाख बारह हजार इक्यानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राजयपाल महोदय जनपद चन्दौली में जिला कारागार के निर्माणार्थ भूमि की व्यवस्था/निबन्धन शुल्क हेतु अवशेष धनराशि रू0 3,10,63,337/- (रूपया तीन करोड़ दस लाख तिरेसठ हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान सहर्ष करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्ताविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 30.06.2017 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-00-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-09-नवसृजित जनपदों में कारागारों के निर्माण हेतु एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक- 02.01.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-24/2017/368(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, चन्दौली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।